शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-71/एन.जी.ओ 50/84-2-2014-सीपी 34/2006

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेई,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 26 नवम्बर, 2014

विषय उपभोक्ता कल्याण कोष से स्वैच्छिक संगठनों को उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों की जांच कराकर आख्या एवं संस्तुति शासन को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-60/सीपी 668/84-2-2014-सीपी 16/2003, दिनांक 10 जुलाई, 2014 एवं पत्र संख्या-सीपी 1025/84-2-2014-सीपी 9/2011, दिनांक 26 सितम्बर, 2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वांछित प्रस्ताव/संस्तुति अभी तक शासन में प्राप्त नहीं हुई है।

2. उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता कल्याण कोष से उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित वित्तीय सहायता@अनुदान दिये जाने के संबंध में स्वैच्छिक संगठनों@समन्वय अभिकरणों के जो भी प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त होते हैं, उनके संबंध में शासनादेश संख्या-1004/29-8-2006-सीपी 16/2003, दिनांक 13.10.2006 एवं संख्या-सीपी 776/84-2-2008-सीपी 16/2003, दिनांक 17.09.2008 एवं शासनादेश संख्या-सीपी 653/84-2-2009-सीपी 16/2003, दिनांक 30.11.2009 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आलोक में निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत जांच/परीक्षण कर प्रस्ताव/संस्तुति शासन को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10.07.2014 में की गयी अपेक्षानुसार एवं उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित शासनादेशों के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की जांच आदि की कार्यवाही पूर्ण कराकर जनपदीय कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त, मूल प्रस्ताव, अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेई)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in